न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र 26/2017

दिनेश कुमार पुत्र श्री गुलाबचन्द जाति मीणा निवासी 31 पटेल मेम्बर मोहल्ला कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक राजस्थान।

..........प्रार्थी

बनाम

1. मदन पुत्र श्री लालू जाति तेली निवासी पोस्ट ऑफिस के पास मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान।
2. गोगा पुत्र श्री घीसा जाति माली निवासी कुम्हार मोहल्ला मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान।
3. रमेश चन्द्र पुत्र श्री शंकरलाल जाति गुरू निवासी मेहतों का मोहल्ला मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान।
4. गजराज पुत्र लालू जाति तेली पोस्ट ऑफिस के पास मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान।
5. प्रहलाद पुत्र मिश्री जाति तेली, तेली मोहल्ला मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर
6. धर्मीचन्द पुत्र मिश्री जाति तेली, तेली मोहल्ला मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर
7. महेन्द्र पुत्र मिश्री जाति तेली, मॉडल स्कूल के पास मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मसूदा (अजमेर)

............अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम मसूदा द्वितीय पटवार मंडल मसूदा द्वितीय भू0 अ0 नि0 क्षेत्र मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 2766 रकबा 11–00–10 बीघा उनकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम मसूदा द्वितीय की जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 247 में ख0 न0 2766 रक्बा 11–00–10 बीघा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार मसूदा को ग्राम मसूदा द्वितीय स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 2766 रकबा 11–00–10 बीघा में मौका कमीश्नर रु 2000/– कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.20 17:34:04 IST
Reason: SelfAttested